संख्या–वे0आ0–2–403/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के पत्र दिनांक 26 नवम्बर, 2010 के माध्यम से गृह विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा गृह विभाग के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 26 नवम्बर, 2010 के माध्यम से दी गयीं कतिपय संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों से आपको पत्र संख्या–वे0आ0–2–3241/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 26 नवम्बर, 2010 द्वारा संसूचित किया गया था। गृह विभाग के सम्बन्ध में वेतन समिति द्वारा की गयी शेष संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

(1) अपराध अनुसंधान विभाग तथा ई0ओ0डब्लू0 में मुनीम (वरिष्ठ वेतनमान) तथा मुनीम के वर्तमान वेतनमान रू0 4000–6000 के स्थान पर उच्चीकृत वेतनमान रू0 4500–7000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 (रू0 5200–20200), ग्रेड वेतन रू0 2800/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(2) विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रयोगशाला सहायक के पदों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर पुनर्विचार कर संस्तुति देने हेतु प्रकरण वेतन समिति को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया।

(3) विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक सहायक के पद पर वर्तमान वेतनमान रु0 4500–7000 के स्थान पर उच्चीकृत वेतनमान रू0 5000–8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 (रु0 9300–34800), ग्रेड वेतन रू0 4200/– दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुए वास्तविक लाभ 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य किया जाय।

(4) विधि विज्ञान प्रयोगशाला के ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर वर्तमान वेतनमान रु0 5000–8000 के स्थान पर वेतनमान रु0 6500–10500 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 (रु0 9300–34800), ग्रेड

वेतन रू0 4600/– दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत करते हुए वास्तविक लाभ 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य किया जाय।

(5) विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता में 02 वर्ष के अनुभव के स्थान पर 03 वर्ष का अनुभव करते हुए वर्तमान वेतनमान रु0 6500–10500 के स्थान पर वेतनमान रु0 8000–13500 के सादृश्य वेतन बैण्ड–3 (रु0 15600– 39100) में ग्रेड वेतन रू0 5400/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय। इसके साथ ही भविष्य में वैज्ञानिक अधिकारी के 50 प्रतिशत पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती तथा शेष 50 प्रतिशत पदों को ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक से पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

(6) विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भविष्य में सहायक निदेशक का पदनाम उप निदेशक करते हुए उक्त पद पर वेतनमान रू0 10000–15200 के सादृश्य वेतन बैण्ड–3 (रु0 15600–39100) व ग्रेड वेतन रू0 6600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय। इसके साथ ही उप निदेशक के पदों को वैज्ञानिक अधिकारी के पदों से शत–प्रतिशत पदोन्नति के आधार पर भरा जाय।

(7) विधि विज्ञान प्रयोगशाला के उप निदेशक तथा संयुक्त निदेशक के पदों को संविलीन कर संयुक्त निदेशक पदनाम व वेतनमान रू0 12000–16500 के सादृश्य वेतन बैण्ड–3 (रु0 15600–39100) व ग्रेड वेतन रू0 7600/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(8) उ0प्र0 पुलिस रेडियो विभाग में राजपत्रित अधिकारियों के संवर्ग को निम्नवत् पुनर्गठित किया जाय :––

प्रस्तावित संवर्गीय ढॉचा

क0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रू0)	भर्ती की विधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1–	निदेशक (पुलिस दूरसंचार)	01	18400–22400	ऐसे उप महानिरीक्षक दूरसंचार से जिन्होंने संवर्ग में कुल 28 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
2–	उप महानिरीक्षक (पुलिस दूरसंचार)	02	16400–20000	ऐसे राज्य रेडियो अधिकारियों में से जिन्होंने संवर्ग में कुल 22 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो या ऐसे राज्य रेडिया अधिकारियों मे से जिन्होंने इस रुप में 16 वर्ष की सेवा कर ली हो और जिनकी नियुक्ति राज्य रेडियों अधिकारी के पद पर पूर्व व्यवस्था के अनुसार सीधी भर्ती से हुयी हो, में से योग्यता के आधार

				पर प्रोन्नति द्वारा।
3—	राज्य रेड़ियों अधिकारी	05	14300—18300	ऐसे अपर राज्य रेड़ियों अधिकारियों से जिन्होंने संवर्ग में कुल 16 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
4—	अपर राज्य रेड़ियो अधिकारी	09	12000—16500	ऐसे सहायक रेडियो अधिकारियों में से जिन्होंने संवर्ग में 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठाता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।
5—	सहायक रेडियो अधिकारी ज्येष्ठ वेतनमान	11	10000—15200	ऐसे सहायक रेडियो अधिकारी जिन्होंने साधारण वेतनमान में 04 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए प्रोन्नति द्वारा।
6—	सहायक रेड़ियों अधिकारी	32	8000—13500	50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत ऐसे रेडियो निरीक्षकों में से जिन्होंने इस पद पर 04 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

(9) प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) तथा प्रधान परिचालक के पदों को 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत सहायक परिचालक से पदोन्नति द्वारा भरा जाय। प्रधान परिचालक (यॉत्रिक) तथा प्रधान परिचालक के पद पर सीधी भर्ती की अर्हता इलेक्ट्रानिक्स/टेलीकम्यूनिकेशन/इलेक्ट्रीकल/कम्प्यूटर साइंस/इम्फारमेशन टेक्नोलॉजी/इन्ट्रूमेन्टेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा निर्धारित की जाय।

(10) रेडियो केन्द्र अधिकारी तथा रेडियो अनुरक्षण अधिकारी के पदों को संविलीन कर रेडियो उपनिरीक्षक पदनाम किया जाय। रेडियों उपनिरीक्षक के पदों को ज्येष्ठता—कम—उपयुक्तता के आधार पर प्रधान परिचालकों से शत—प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाये और रेडियो उप निरीक्षक के पदों पर वेतन बैण्ड—2 (रू0 9300—34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/— तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय।

(11) रेडियो निरीक्षक के पद पर बैण्ड—2 (रू0 9300—34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/— तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किया जाय। रेडियो निरीक्षक के पद पर ऐसे रेडिया उप निरीक्षक से पदोन्नति की जाये जिन्होंने रेडियो अनुरक्षण से सम्बन्धित प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त कर लिया हो।

(12) सामान्य श्रेणी के पदों यथा चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक, कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद, लिपिक श्रेणी आदि के सम्बन्ध में सामान्य कोटि

के पदों/संवर्गों के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ अलग से दी जा चुकी हैं। उ0प्र0 पुलिस विभाग के सामान्य श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में भी तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(13) अन्य कतिपय भत्तों एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में संस्तुतियां अलग से विचार कर दी जायेंगी।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–403(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।